ग्राम पंचायत फारियाँ, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत फारियाँ, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जीवन लाल	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विजय कुमार	01.04.2021 से 21.06.2021
2.	श्री मोहम्मद जावेद	22.06.2021 से 31.03.2023

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री तजेंद्र पॉल	01.04.2021 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्रीमती अर्चना कुमारी	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत फारियाँ के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.42
2.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	31.26
3.	7 (क,ख)	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.52
4.	8.1	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप संभावित राजस्व हानि	0.02
5.	8.2	सौंदर्यकरण खेल मैदान व पार्क नजदीक राजकीय प्राथमिक विद्यालय फारियाँ का माप पुस्तिका में माप गणना का विस्तृत विवरण दर्ज न करना	1.74
6.	9	विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु अनुमोदित अपेक्षा अधिक/अनियमित भुगतान करना	0.13

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत फारियाँ, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया,

कनिष्ठ लेखा परीक्षक तथा श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.03.2024 से 20.03.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2021-22	02/2022	02/2022
2022-23	02/2022	10/2022

अस्वीकरण (Disclaimer): - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹6400/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 11/2024/फारियाँ दिनांक 20.03.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 25/2024 दिनांक 20.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 06/2024 दिनांक 16.03.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2021-22	577439.50	351166.00	928605.50	340135.00	588470.50
2022-23	588470.50	701846.00	1290316.50	488143.00	802173.50

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2021-22	5719272.10	3023883.00	8743155.10	3836925.00	4906230.10
2022-23	4906230.10	3607390.00	8513620.10	5387600.00	3126020.10

कुल योग (1+2) = 802173.50+3126020.10 = **3928193.60**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹39,28,193.60** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹39,69,940.60 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है: -

क्र०	**अनुदान**	**बैंक**	**खाता संख्या**	**बैंक अंत शेष 31.03.23 को**
1	स्व. स्त्रोत/ 5 वाँ राज्य वित्तयोग	KCCB चलबाड़ा	20165001972	802173.50
2	वी०डी०सी०	KCCB चलबाड़ा	50055906927	0.00
3	आर.जी.ए.वाय.	KCCB चलबाड़ा	50055906983	0.00
4	वी.के.वी.एन.वाय.	KCCB चलबाड़ा	50055907002	3762.00
5	एम.एम.जी.पी. वाई.	KCCB चलबाड़ा	50055906949	8091.00

6	टी.एस.सी./एस.बी.एम.	KCCB चलबाड़ा	50055906892	0.00
7	एम.पी.एल.ए.डी.	KCCB चलबाड़ा	50055906994	0.00
8	आई.डब्ल्यू.डी.पी.	KCCB चलबाड़ा	20024009097	433.00
9	ज़िला परिषद	KCCB चलबाड़ा	50055906916	41312.00
10	बायो डाइवर्सिटी मैनेजमेन्ट कमेटी	KCCB चलबाड़ा	50067778572	63589.00
11	डब्ल्यू.डी.एफ.(अंशदान)	KCCB चलबाड़ा	20024009257	26471.00
12	विवाह पंजीकरण शुल्क	KCCB चलबाड़ा	50067762709	42618.00
13	14 वाँ वित्तयोग	KCCB चलबाड़ा	50064937876	467750.10
14	15 वाँ वित्तयोग	KCCB चलबाड़ा	50071900620	2513741.00
15	हस्तगत शेष (स्व: स्त्रोत)			0.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योग :			3969940.60
	दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेष:-			₹39,69,940.60
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति [पैरा4(क)] के अनुसार के अनुसार अंतशेष:-			₹39,28,193.60
	अंतर :-			**₹41,747.00**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.42 लाख का अन्तर पाया जाना:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज

(वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2023 को उक्त पैरा 4 के अनुसार **₹41,747.00** की राशि का अन्तर पाया गया। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/फारियाँ दिनांक 20.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 24/2024 दिनांक 20.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता- "क" खोला जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण खाता- "ख" खोला जाएगा। इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारंभ की गई और इस योजना के संदर्भ में पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के जारी दिशा निर्देश अनुसार प्रत्येक अनुदान शीर्ष के लिए पृथक बैंक खाता खोला जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी आय (स्वः-स्त्रोत) व अनुदान 5वां राज्य वित्त आयोग से प्राप्त निधि का एक ही बैंक खाता है **(खाता संख्या 20165001972)** व संयुक्त रोकड़ बही का रख रखाव किया गया था, जिस कारण स्वः-स्त्रोत व अनुदान 5वां राज्य वित्तायोग के गतशेष व अंतशेष का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा ई ग्राम स्वराज में 5वां राज्य वित्तायोग से संबंधित रोकड़ बही में केवल बी०डी०सी० (ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी)

अनुदान **(खाता संख्या 50055906927)** से प्राप्त राशि का इंदराज किया जा रहा है। उपरोक्त आपत्तियों/तथ्यों से स्पष्ट है कि यह पंचायत की वित्तीय स्थिति सही व सच्ची स्थिति नहीं दर्शाती है व ऊपर वर्णित नियम व दिशा निर्देश की स्पष्ट अवहेलना है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/फारियाँ दिनांक 19.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18/2024 दिनांक 19.03.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में नियमानुसार खाता "क" व "ख" को पृथक कर लिया जाएगा व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व खाता "क" व "ख" को पृथक करना सुनिश्चित किया जाए और स्व-स्त्रोत, व 5वां वित्त अनुदान का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/फारियाँ दिनांक 20.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 24/2024 दिनांक 20.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही को आगामी वित्त वर्ष से संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते नियमानुसार तैयार किए जाने सुनिश्चित किये

जाये व भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते नियमानुसार तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था अपितु कार्यवाही रजिस्टर में तैयार एवं पारित किया गया था। सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को निर्धारित प्रारूप -11 के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्वः-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/फारियाँ दिनांक 19.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 19/2024 दिनांक 19.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि सभा निधि में बकाया अतिरिक्त राशि को नियमानुसार प्रस्ताव पारित करके भविष्य में सावधि जमा में निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹31.26 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 06/2024 दिनांक 16.03.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 31,26,020.10** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/फारियाँ दिनांक 20.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 24/2024 दिनांक 20.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व राशि ₹0.52 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

(क) संपत्ति कर / गृहकर की राशि ₹0.51 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/फारियाँ दिनांक 16.03.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 17/2024 दिनांक 16.03.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में ₹100/- प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹51,010.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है। गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण प्रारूप - 10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता लगाया जा सके। गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

वसूली हेतु शेष गृहकर राशि का विवरण :-

अवधि	अथशेष	कुल परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग (कालम 2+5)	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (कालम 6-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2021-22	₹ 23,410.00	801	₹ 100.00	₹ 80,100.00	₹ 1,03,510.00	₹ 0.00	₹ 1,03,510.00
2022-23	₹ 1,03,510.00	815	₹ 100.00	₹ 81,500.00	₹ 1,85,010.00	₹ 1,34,000.00	₹ 51,010.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/फारियाँ दिनांक 20.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 24/2024 दिनांक 20.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की वसूली न करना: -

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्या: PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या: SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹1290.00** की वसूली नहीं की गई थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " ङ "** पर संलग्न एवं निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	श्री अरमान गौतम	02.05.21	30.05.21	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
2	श्री प्रवीन कुमार	01.07.21	20.07.21	₹ 200.00	₹ 50.00	₹ 150.00
3	श्री अजय कुमार	22.11.21	08.12.21	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
4	श्री दीपक कुमार	18.02.22	28.02.22	₹ 200.00	₹ 50.00	₹ 150.00
5	श्री शुभम शर्मा	03.05.22	03.06.22	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
6	श्री अरुण कुमार	18.07.22	10.08.22	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
7	श्री हरप्रीत सिंह	09.03.23	15.03.23	₹ 200.00	₹ 10.00	₹ 190.00
			कुल	**₹ 1,400.00**	**₹ 110.00**	**₹ 1,290.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/फारियाँ दिनांक 20.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 24/2024 दिनांक 20.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया विवाह पंजीकरण शुल्क की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में विवाह पंजीकरण शुल्क संबंधी इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराया जाये ।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹0.02 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 02/2022 व 10/2022 में रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट " च "** पर संलग्न विवरणानुसार **₹1,700.19** का संभावित अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/फारियाँ दिनांक 20.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्युत्तर क्रमांक 27/2024 दिनांक 20.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही आपूर्तिकर्ता से वसूली कर ली जाएगी।

अतः राशि **₹1,700.19** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए व इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की अपने स्तर पर विस्तृत जांच करके नियमानुसार,

वस्तुस्थिति अनुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 व्यय राशि ₹1.74 लाख बाबत सौंदर्यकरण खेल मैदान व पार्क नजदीक राजकीय प्राथमिक विद्यालय फारियाँ का माप पुस्तिका में माप गणना का विस्तृत विवरण दर्ज न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका अनुसार कार्य की माप गणना (Measurement) का विस्तृत विवरण मापन पुस्तिका में अंकित नहीं किया गया था, जिस कारण **Item No.1** P/L Interlock Tiles 40mm (1450 sqft) के मूल्यांकन व व्यय की गई राशि **₹1,74,000.00** की पूर्ण पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

प्रस्ताव संख्या व दिनांक	**15 / 15.11.2021**
शेल्फ क्रमांक संख्या	20
अनुदान शीर्ष	**14 वां वित्त**
कार्य स्वीकृत राशि	**₹ 2,00,000.00**
कुल व्यय राशि	**₹ 197500.00**
माप पुस्तिका संख्या / पृष्ठ संख्या	**8176** पृष्ट संख्या : **85**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/फारियाँ दिनांक 20.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक 26/2024 दिनांक 20.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि माप गणना की त्रुटि बारे तकनीकी सहायक से विस्तारपूर्वक चर्चा उपरांत त्रुटि से सहमती है व इस त्रुटि का निपटारा शीघ्र करके नियमानुसार कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में माप गणना में पाई गई त्रुटि की वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए व तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु राशि ₹0.13 लाख का अपेक्षाकृत अधिक/अनियमित भुगतान बारे

9.1 निर्माण कार्य पार्क नजदीक करडीयाल जाट मोहल्ला में निविदा में अंकित दर की बजाय अधिक दर पर मदों का क्रय करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹0.09 लाख का अधिक भुगतान करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य पार्क नजदीक करडीयाल जाट मोहल्ला से संबंधित बिलों एवं वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि निविदा में अंकित दर की बजाय अधिक दर पर मदों का क्रय करने के कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता को **₹8900.00** का अधिक भुगतान किया गया था:-

कार्य का नाम	पार्क के निर्माण कार्य नजदीक कर कर्डियाल जाट मोहल्ला
आपूर्तिकर्ता	मै० हिमाचल ट्रेडर्स, गाँव व डाकघर दोधाम्ब, तहसील शाहपुर
अनुदान	14 वां वित्त आयोग
वाउचर संख्या व दिनांक	33 / 27-10-2022
बिल संख्या व दिनांक	807 / 07-10-2022

क्र०सं०	**मद संख्या**	**मद का विवरण**	**कुल**	**निविदा में अंकित दर**	**अदायगी दर**	**अदा की गई राशि**	**निविदा अनुसार भुगतान की जाने वाली राशि**	**अधिक भुगतान की गई राशि**
1	3	Slider 12 Feet Iron	01	24500	26800	26800	24500	2300
2	4	Bride Ladder	01	18500	19500	19500	18500	1000
3	5	Marry Go round	01	37500	38500	38500	37500	1000
4	7	Cross trainer	01	29900	34500	34500	29900	4600
					कुल अधिक किया गया भुगतान			**8900**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/फारियाँ दिनांक 19.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक 23/2024 दिनांक 20.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि

निविदा में अंकित राशि से अधिक भुगतान गलती से हो गया है व इसकी वसूली आपूर्तिकर्ता से करने के उपरांत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जाये व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 निर्माण कार्य स्थापना पानी की टंकी में निविदा में अंकित दर की बजाय अधिक दर पर मदों का क्रय करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य स्थापना पानी की टंकी से संबंधित बिलों एवं वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि निविदा में अंकित दर की बजाय अधिक दर पर मदों का क्रय करने के कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता को **₹3200.00** का अधिक भुगतान किया गया था:-

कार्य का नाम	स्थापना पानी की टंकी
आपूर्तिकर्ता	मै० हिमाचल ट्रेडर्स, गाँव व डाकघर दोधाम्ब, तहसील शाहपुर
अनुदान	14 वां वित्त आयोग
वाउचर संख्या व दिनांक	36 / 18-12-2022 व 37 / 18-12-2022
बिल संख्या व दिनांक	806 / 07-10-2022 व 805 / 07-10-2022

क्र० सं०	**मद का विवरण**	**कुल**	**निविदा में अंकित दर**	**अदायगी दर**	**अदा की गई राशि**	**निविदा अनुसार भुगतान की जाने वाली राशि**	**अधिक भुगतान की गई राशि**
1	Water tanki Iron 14 gauge size 4X4 with stand and installation	02	43400/-	45000/-	90,000/-	86,800/-	3200/-
				कुल अधिक किया गया भुगतान			**3200/-**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/फारियाँ दिनांक 19.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक 23/2024 दिनांक 20.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि निविदा में अंकित राशि से अधिक भुगतान गलती से हो गया है व इसकी वसूली आपूर्तिकर्ता से करने के उपरांत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जाये व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 निर्माण कार्य नालियाँ जीवन लाल के घर से लेकर सुभाष चंद के घर तक वार्ड नं 7 में ₹0.01 लाख के अधिक भुगतान बारे :-

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य नालियाँ जीवन लाल के घर से लेकर सुभाष चंद के घर तक वार्ड नं 7 से सबंधित प्राक्कलन व माप पुस्तिका के अवलोकन पर पाया गया कि अनियमित माप गणना के कारण **₹978.00** का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

प्रस्ताव संख्या व दिनांक	**06 / 23.01.2018**
शेल्फ क्रमांक संख्या	**21**
अनुदान शीर्ष	**14 वां वित्त**
कार्य स्वीकृत राशि	**₹ 70,000.00**
कुल व्यय राशि	**₹ 57,500.00**
माप पुस्तिका संख्या / पृष्ठ संख्या	**8176** पृष्ट संख्या : **94** से **95**

Error: Recording excess Length of sidewall and Nalli Bed in compare with Item No. 1 resulting excess measurement

In Item No. 1 Form Work total length were measured (45+35+24) 104 Mtrs, but while measuring item no. 2 (P/L CC 1:3:6) Nalli Bed were measured 124 Mtrs i.e. 20 Mtrs extra and Both side leg was measured 114 Mtrs i.e. 10 Mtrs extra in that too without any formwork 10 Mtrs side leg were measured extra as the same is not possible

This error has resulted in excess payment as under:-

Description of Item	Measurement as recorded in MB	Excess Qty measured & paid	Excess Payment
Item 2:- Page 94 P/L cement concrete 1:3:6 stone aggregate 20mm nominal size and curing complete (Total length measured in Item Bed 1x1x<u>**124**</u>x0.45x.10 = 5.58 Sides 1x2x34x.10x.25 = 1.70 1x2x<u>**80**</u>x.12x.25 = 4.80 Total = 12.08 M^3	**Item 2:- Page 94** P/L cement concrete 1:3:6 Bed 1x1x<u>**104**</u>x0.45x.10 = 4.68 Sides 1x2x34x.10x.25 = 1.70 1x2x<u>**70**</u>x.12x.25 = 4.20 Total = 10.58 M^3	=12.08-10.58 =1.50 M^3 @ ₹432.95/ M^3	649
		Total extra payment	**649**
		Total Assessment of material	**38130**
		%age of excess assessment of material (649/38130X100)	**1.70%**
		Net payment of the work	**57500**
		Hence net extra payment (57500X1.70%)	**978**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/फारियाँ दिनांक 20.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 26/2024 दिनांक 20.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि माप गणना त्रुटिपूर्वक की गई थी व इस त्रुटि का निपटारा शीघ्र करके नियमानुसार कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में माप गणना में पाई गई त्रुटि व किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गई थी परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था (उदाहरणार्थ ऊपर वर्णित **पैरा 9**) तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	फॉर्म संख्या
1.	निवेश रजिस्टर	12	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15 (1)	----
3.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
4.	अस्थाई अग्रीमों का रजिस्टर	30	09
5.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	33 व 77(4)	10
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	अनुदान रजिस्टर	61 (1)	21
8.	निर्माण कार्य रजिस्टर	103	-------

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/फारियाँ दिनांक 20.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्युत्तर क्रमांक 27/2024 दिनांक 20.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/फारियाँ दिनांक 19.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 19/2024 दिनांक 19.03.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही थी, जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

02 JUL 2024

का0/50
3070-3074

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)402/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत फारियाँ, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/50

ANNEXURE -1

GP PHARIAN FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	577439.50	351166.00	928605.50	340135.00	588470.50
2022-23	588470.50	701846.00	1290316.50	488143.00	802173.50

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	5719272.10	3023883.00	8743155.10	3836925.00	4906230.10
2022-23	4906230.10	3607390.00	8513620.10	5387600.00	3126020.10

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत फारियां
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
तह. ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP PHARIAN FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5thSFC/ BDC	2021-22	20849.00	634.00	21483.00	0.00	21483.00
		2022-23	21483.00	660.00	22143.00	22143.00	0.00
2	RGAY	2021-22	500.00	16.00	516.00	0.00	516.00
		2022-23	516.00	17.00	533.00	533.00	0.00
3	VKVNY	2021-22	2608.00	80.00	2688.00	0.00	2688.00
		2022-23	2688.00	300876.00	303564.00	299802.00	3762.00
4	MMGPY	2021-22	7635.00	232.00	7867.00	0.00	7867.00
		2022-23	7867.00	224.00	8091.00	0.00	8091.00
5	TSC/SBM(G)	2021-22	113403.00	3441.00	116844.00	0.00	116844.00
		2022-23	116844.00	3333.00	120177.00	120177.00	0.00
6	MPLAD	2021-22	1742.00	52.00	1794.00	0.00	1794.00
		2022-23	1794.00	52.00	1846.00	1846.00	0.00
7	IWDP	2021-22	0.00	8645.00	8645.00	8428.00	217.00
		2022-23	217.00	11971.00	12188.00	11755.00	433.00
8	ZP	2021-22	38981.00	1185.00	40166.00	0.00	40166.00
		2022-23	40166.00	1146.00	41312.00	0.00	41312.00
9	BIO DIVERSITY MAM COMMITTEE	2021-22	60000.00	1825.00	61825.00	0.00	61825.00
		2022-23	61825.00	1764.00	63589.00	0.00	63589.00
10	WDF (अंशदान)	2021-22	24979.00	758.00	25737.00	0.00	25737.00
		2022-23	25737.00	734.00	26471.00	0.00	26471.00
12	MARRIAGE REG FEE	2021-22	39620.00	1816.00	41436.00	0.00	41436.00
		2022-23	41436.00	1182.00	42618.00	0.00	42618.00
12	14TH FC	2021-22	4835149.10	135041.00	4970190.10	2158859.00	2811331.10
		2022-23	2811331.10	67978.00	2879309.10	2411559.00	467750.10
13	15TH FC	2021-22	573806.00	1200520.00	1774326.00	0.00	1774326.00
		2022-23	1774326.00	1681170.00	3455496.00	983502.00	2471994.00
14	MNREGA	2021-22	0.00	1669638.00	1669638.00	1669638.00	0.00
		2022-23	0.00	1536283.00	1536283.00	1536283.00	0.00

(परिशिष्ट " ञ " पैरा संख्या "4 ख " में संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत फारियाँ, वि०ख० नगरोटा सूरियां, ज़िला कांगड़ा हि०प्र०176023

ग्राम पंचायत फारियाँ के दिनांक 31.03.2023 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2023	बैंक अंत शेष 31.03.2023	अंतर
1	स्व. स्त्रोत/ 5 वाँ राज्य वित्तयोग	KCCB चलबाड़ा	20165001972	802173.50	802173.50	0.00
2	वी०डी०सी०	KCCB चलबाड़ा	50055906927	0.00	0.00	0.00
3	आर.जी.ए.वाय.	KCCB चलबाड़ा	50055906983	0.00	0.00	0.00
4	वी.के.वी.एन.वाय.	KCCB चलबाड़ा	50055907002	3762.00	3762.00	0.00
5	एम.एम.जी.पी. वाई.	KCCB चलबाड़ा	50055906949	8091.00	8091.00	0.00
6	टी.एस.सी./एस.बी.एम.	KCCB चलबाड़ा	50055906892	0.00	0.00	0.00
7	एम.पी.एल.ए.डी.	KCCB चलबाड़ा	50055906994	0.00	0.00	0.00
8	आई.डब्ल्यू.डी.पी.	KCCB चलबाड़ा	20024009097	433.00	433.00	0.00
9	ज़िला परिषद	KCCB चलबाड़ा	50055906916	41312.00	41312.00	0.00
10	बायो डाइवर्सिटी मैनेजमेन्ट कमेटी	KCCB चलबाड़ा	50067778572	63589.00	63589.00	0.00
11	डब्ल्यू.डी.एफ.(अंशदान)	KCCB चलबाड़ा	20024009257	26471.00	26471.00	0.00
12	विवाह पंजीकरण शुल्क	KCCB चलबाड़ा	50067762709	42618.00	42618.00	0.00
13	14 वाँ वित्तयोग	KCCB चलबाड़ा	50064937876	467750.10	467750.10	0.00
14	15 वाँ वित्तयोग	KCCB चलबाड़ा	50071900620	2471994.00	2513741.00	41747.00
			CASH IN HAND	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	3928193.60	3969940.60	41747.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत फारियां
वि.ख. नगरोटा सूरियां, ज़िला कांगड़ा (हि०प्र०)

(परिशिष्ट " ग " पैरा संख्या " 7 क " में संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत फारियाँ, वि०ख० नगरोटा सूरियां, ज़िला कांगड़ा हि०प्र०176023

दिनांक 31-03-2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2021-22 में 801 तथा 2022-23 में 815 परिवारों का ₹100/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	₹ 23,410.00	801	₹ 100.00	₹ 80,100.00	₹ 1,03,510.00	₹ 0.00	₹ 1,03,510.00
2022-23	₹ 1,03,510.00	815	₹ 100.00	₹ 81,500.00	₹ 1,85,010.00	₹ 1,34,000.00	₹ 51,010.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2023 को बकाया गृहकर की राशि ₹51,010/- है।						

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत फारियाँ
तह. ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

(परिशिष्ट " ङ " पैरा संख्या " 7.ख " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत फारियाँ, वि०ख० नगरोटा सूरियां, ज़िला कांगड़ा हि०प्र०176023

ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करना :-

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	श्री अरमान गौतम	02.05.21	30.05.21	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
2	श्री प्रवीन कुमार	01.07.21	20.07.21	₹ 200.00	₹ 50.00	₹ 150.00
3	श्री अजय कुमार	22.11.21	08.12.21	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
4	श्री दीपक कुमार	18.02.22	28.02.22	₹ 200.00	₹ 50.00	₹ 150.00
5	श्री शुभम शर्मा	03.05.22	03.06.22	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
6	श्री अरुण कुमार	18.07.22	10.08.22	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
7	श्री हरप्रीत सिंह	09.03.23	15.03.23	₹ 200.00	₹ 10.00	₹ 190.00
			कुल			**₹ 1,290.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत फारियां
[illegible], जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

26

परिशिष्ट - 'प'

ग्राम पंचायत फारियाँ खनन सामग्री (केवल चयनित माह) के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि (पैरा संख्या - "8.1" के सन्दर्भ में)

Name of Supplier	Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Name of Item	Qty. (FEET)	Qty. (cum)	Determining Fator	Qty. (in MT.)	Royality (Per MT.)	Due Royality
14 वां वित्त									
Vijay Kumar	20/05.10.2022	819/22.09.2022	Sand	230	6.513	1.62	10.551	80.00	844.06
			Bajri	150	4.247	1.52	6.456	80.00	516.49
							Total		1360.56
							25% Penalty		340.14
							G.Total		1700.69

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत फारियाँ
विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ
तह. ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

Technical Assistant
Gram Panchayat Phari'om
Dev. Bl. Nagrota Surian (Kangra) H.P.

25